न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 102/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. मुकेश चौहान पिता शंकरलाल जाति माली निवासी— दिल्ली दरवाजा रोड़, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक — 19/09/22

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में खसरा संख्या 5229 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म गैरमुमकिन श्मसान की भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि सेटलमन्ट के पुराने खसरा संख्या 317 रकबा 45 बीघा 11 बिस्वा भुमि से मिलकर बना है। उपरोक्त भुमि का उपयोग हिन्दू सम्प्रदाय के लोग अपने पूर्वजों के शवो का अंतिम संस्कार अग्निदाह किये जाने में उपयोग करते आ रहे है। जो भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व गैरमुमकिन श्मसान के रूप में दर्जसुदा है जो राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 से बखुबी प्रमाणित है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के परे जाते हुए विधि विरूद्ध तरीके से पुराने खसरे से नया खसरा कायम करते समय खसरा मिलान मे बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किए पुराने खसरा संख्या 317 से नए खसरा संख्या 5229 को कायम करते समय किस्म गैरमुमकिन शमसान के स्थान पर गैरमुमकिन कब्रिस्तान अंकित कर दिया जो कि सद्भाविक त्रुटि व भूल की वजह से किया गया है। सेटलमेन्ट अधिकारी को मात्र पुरानी प्रविष्ठि को हूबहू आगे रिपीट किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर गलती व त्रुटिवश दौराने सेटलमेन्ट गैरमुमकिन श्मसान के स्थान पर गैरमुमकिन कब्रिस्तान अंकित कर दिया जिसे शुद्धि करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 5229 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान के स्थान पर गैरमुमकिन श्मसान शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध कर अन्य बिन्दु कानूनी होना अंकित किया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 5229 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है जो सेवन से अंकित हो चुका है। जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में उक्त भूमि गै0मु0श्मसान दर्ज है। जिससे प्रार्थीत खसरा जात की भूमि की गै0मु0 कब्रिस्तान के स्थान पर गैरमुमकिन शमसान शुद्धि किए जाने की ईस्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत ने स्वीकारोक्ति/सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सरहद मौजा चक प्रथम के खसरा नम्बर 5229 की प्रमाणित जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 तथा खसरा नम्बर 5229 के नक्शा सीट की प्रमाणित प्रति तथा खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति आदि दस्तावेजात पेश किए, जिनका गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में खसरा नंबर 317 में दर्ज प्रविष्ठि गैरमुमकिन शमसान अंकित है तथा सेटलमेंट के दौरान खसरा मिलान में खसरा नंबर 317 के स्थान पर बने नए खसरा नंबर 5229 किस्म गैरमुमकिन कब्रिस्तान अंकित कर दिया है जिसकी पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 से बखूबी होती है। उक्त सद्भाविक त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 5229 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान के स्थान पर गैरमुमकिन शमसान रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 5229 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान के स्थान पर गैरमुमकिन शमसान दुरूस्त रूप से दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 19/09/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)